

सं. डब्ल्यूक्यू-11018/7/2015-ओ/ओ सं. निदेशक (सांख्यिकी)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

भारत सरकार

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 11 फरवरी, 2015

विषय: दिनांक 16 मार्च से 22 मार्च, 2015 तक "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह" की शुरुआत।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से सचिव (डीडब्ल्यूएस) के अ.शा. पत्र संख्या डी.ओ/2/2/एस (डीडब्ल्यूएस)/2015 तथा संयुक्त सचिव (डब्ल्यू/ए) के समसंख्यक अ.शा. पत्र का संदर्भ लें।

इस संबंध में राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी के साथ दिनांक 16.02.2015 को एक विडियो कांफरेंस निर्धारित की गई ताकि राज्य तथा संघ राज्य/क्षेत्रों में जागरूकता सप्ताह समारोह मनाने के तरीके पर चर्चा की जा सके।

इस विडियो कांफरेंस में पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्कूली शिक्षा मंत्रालय के सचिवों को शामिल किया गया है ताकि जागरूकता सप्ताह को बड़े तौर पर मनाने और जन सामान्य पर गहरा असर डालने के लिए राज्य तथा केंद्र स्तर पर तालमेल हो सके। अतः आपसे अनुरोध है कि वाश जागरूकता सप्ताह के अपने प्रस्तावित कार्य योजना के साथ आप विडियो कांफरेंस में उपस्थित हों। कृपया अपने साथ राज्य के सीसीडीयू कार्यकारी/आईईसी प्रभारी को भी लाएँ। कांफरेंस की समय-सारणी संलग्न है।

(संध्या सिंह)

संयुक्त निदेशक (आईईसी)

दूरभाष-011-24364112

ई-मेल-sandhya.singh@nic.in

संलग्नक-यथोक्त

सेवा में,

राज्य में ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रधान सचिव/सचिव।

प्रति-सूचनार्थ :-

- सचिव (डीडब्ल्यूएस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (एस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (डब्ल्यू/ए) के पीएस/निदेशक (एसबीएम-जी) के पीए/निदेशक (प्रशासन) के पीए/ निदेशक (डब्ल्यू) के पीए।
- एनआईसी को सचिव (डीडब्ल्यूएस) के कांफरेंस कक्ष में आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु तथा सत्र के दौरान एक व्यक्ति को नियुक्त करने हेतु।
- अवर सचिव (प्रशासन) जलपान आदि की व्यवस्था करने हेतु।

दिनांक 16.2.2015 को अपराह्न 10:00 से 11:00 तक

1.	एचआरडी	शास्त्री भवन (एचआरडी)
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3.	पंचायती राज	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4.	ग्रामीण विकास	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5.	अंडमन एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर-एनआईसी
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद - एनआईसी
7.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर - एनआईसी
8.	असम	गुवाहटी-एनआईसी
9.	बिहार	पटना - एनआईसी
10.	छत्तीसगढ़	पटना - एनआईसी
11.	गोवा	पोवोरियम - एनआईसी (पंजिम)
12.	गुजरात	गांधी नगर - एनआईसी
13.	हरियाणा	चंडीगढ़ (एचआर) - एनआईसी
14.	हिमाचल प्रदेश	शिमला - एनआईसी
15.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू - एनआईसी
16.	झारखंड	जम्मू - एनआईसी
17.	कर्नाटक	बैंगलूर - एनआईसी
18.	केरल	तिरुवनन्तपुरम - एनआईसी
19.	मध्य प्रदेश	भोपाल - एनआईसी
20.	महाराष्ट्र	मुम्बई - एनआईसी
21.	मणिपुर	इंफाल - एनआईसी
22.	मेघालय	शिलांग - एनआईसी
23.	मिजोरम	ऐज़वाल - एनआईसी
24.	नागालैंड	कोहिमा - एनआईसी
25.	ओडिशा	भुवनेश्वर - एनआईसी
26.	पुदुचेरी	पांडीचेरी- एनआईसी
27.	पंजाब (एनआईसी-1)	चंडीगढ़ (पीबी)- एनआईसी-1
28.	राजस्थान	जयपुर - एनआईसी
29.	सिक्किम	गंगटोक - एनआईसी
30.	तमिल नाडु	चैन्नई - एनआईसी
31.	तेलंगाना	हैदराबाद - शहरी
32.	त्रिपुरा	अगरतला - एनआईसी
33.	उत्तर प्रदेश (एनआईसी-1)	लखनऊ एनआईसी
34.	उत्तराखंड	देहरादून- एनआईसी
35.	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता - एनआईसी
36.	दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा - एनआईसी